

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
संकल्प

संकल्प सं०:- (सं०सं०-ग्रा०वि०-14(मुं०)खग०-01/2015)- _____ / पटना, दिनांक :- _____

सुश्री रीना कुमारी, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगडिया सदर सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी, मधेपुरा के विरुद्ध संकल्प जापांक- 340835 दिनांक- 05.12.2017 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए श्री विनोद कुमार, तत्कालीन विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

श्री विनोद कुमार के स्थानान्तरण के फलस्वरूप उनके स्थान पर संचालन पदाधिकारी के रूप में श्री राजेश परिमल, उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को नामित किया जाता है।

संकल्प जापांक- 340835 दिनांक- 05.12.2017 के शेष अंश यथावत् रहेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राधा किशोर झा)

अपर सचिव।

जापांक:- _____ / पटना, दिनांक :- _____

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- यथोक्त।

ह०/-

अपर सचिव।

जापांक:- _____ / पटना, दिनांक :- _____

**चपरासी
बही**

प्रतिलिपि:- श्री राजेश परिमल, उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सुश्री कुमारी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित अभिलेख की मूल प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही संपन्न कर अपना प्रतिवेदन तथा कार्यवाही अभिलेख के साथ आदेशफलक संलग्न कर अपना मंतव्य तीन प्रतियों में विभाग/सरकार को प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे।

अनुलग्नक- यथोक्त।

ह०/-

अपर सचिव।

जापांक:- 373289 / पटना, दिनांक :- 06-06-2018

**ईमेल/
निबंधित**

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, खगडिया / उप विकास आयुक्त, खगडिया / जिला पदाधिकारी, मधेपुरा / उप विकास आयुक्त, मधेपुरा / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / सुश्री रीना कुमारी, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगडिया सदर सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी, मधेपुरा / आई.टी. मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्श करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुश्री रीना कुमारी को निदेश दिया जाता है कि वे अपना पक्ष रखने हेतु संचालन पदाधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होंगी।

अपर सचिव।